उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 625–पारे0अनु0–04 / पाट्राकालि–2023–18 / 14 टी0सी0–। दिनांक: 15 सितम्बर, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की दिनांक 25.08.2023 को सम्पन्न 92वीं बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश संख्या–3000–औ0सं0/2023–19(125)ए0एस0 / 01, दिनांक 30.06.2023 को अंगीकृत करने हेतु पारित निर्णय के अनुपालन में आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से विद्युत उपकेन्द्रों / लाइनों के अनुरक्षण एवं परिचालन आदि कार्यों हेतु नियोजित आउटसोर्स श्रमिकों की घातक विद्युत दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में उनके परिजनों को तात्कालिक सहायता प्रदान किये जाने सम्बन्धी कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–4094–पारे0अनु0–16 / पाट्राकालि–2017–05 / 2017, दिनांक 09.11.2017 को अतिक्रमित करते हुए निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की गई है :–

1. आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से उपकेन्द्रों / लाइनों के अनुरक्षण कार्य में नियोजित आउटसोर्स श्रमिको की विभागीय कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक श्रमिकों के परिजनों को अनुमन्य की जाने वाली अनुग्रह धनराशि को रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर रू0 7.50 लाख किया जाता है।
2. कारपोरेशन द्वारा भुगतान की गयी अनुग्रह धनराशि की वापसी हेतु आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा नियोजित श्रमिकों का रू0 7.50 लाख का सामूहिक दुर्घटना बीमा पालिसी कराई जायेगी। उक्त सामूहिक दुर्घटना बीमा पालिसी के प्रीमियम का व्ययभार आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा, जिसका निविदा जारी करते समय स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा उक्त बीमा की राशि इंश्योरेन्स कम्पनी से प्राप्त कर सम्बन्धित खण्ड कार्यालय में 120 दिनों में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की दशा में सम्बन्धित आउटसोर्स एजेन्सी के बीजक से कारपोरेशन द्वारा भुगतान की गयी उक्त धनराशि समायोजित कर ली जायेगी। तदनुसार अनुबन्ध की शर्तों में भी इसका उल्लेख किया जायेगा। सम्बन्धित खण्ड / मण्डल के अन्तर्गत उक्त अनुग्रह धनराशि के भुगतान किये जाने एवं निर्धारित समयावधि में आउटसोर्स एजेन्सी से प्राप्ति का लेखा–जोखा रखने का दायित्व सम्बन्धित इकाई के लेखाकार का होगा।
3. वर्तमान में अनुबंधित आउटसोर्स एजेन्सियों द्वारा आउटसोर्स कार्मिकों हेतु ली गयी बीमा पॉलिसी में बीमा धनराशि को अनुबंध समाप्त होने की अवधि तक रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख किया जायेगा। इस बढ़ी हुई बीमा राशि के प्रीमियम की धनराशि का बीजक के साथ प्रीमियम भुगतान की रसीद प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित खण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगें। इस सम्बन्ध में अनुबन्धकर्ता अधिकारी द्वारा सम्बन्धित आउटसोर्स एजेन्सी को पत्र प्रेषित किया जाये।

उक्त आदेश दिनांक 01.07.2023 से प्रभावी माने जायेंगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

Satyavati

संख्या– 625(i)–पारे0अनु0–04 / उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 / 2023 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0; लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3- निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन (मु0), लखनऊ के निजी सचिव।
4- समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं स्तर–2), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
7- संयुक्त सचिव (पारेषण–प्रथम), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8- समस्त महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
10- उप सचिव (पारेषण–प्रथम / द्वितीय), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
12- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ को दिनांक 25.08.2023 को सम्पन्न 92वीं बैठक के मद संख्या–92(40) के सन्दर्भ में।
13- अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट **www.upptcl.org** पर शीर्ष प्राथमिकता पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

Satyarth

(सत्यार्थ गंगवार)

उप सचिव (पारेषण–तृतीय)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या–3000–औ0सं0/2023–19(125)ए0एस0/01

दिनांकः 30 जून, 2023

कार्यालय ज्ञाप

आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से विद्युत उपकेन्द्रों/लाइनों के अनुरक्षण एवं परिचालन आदि कार्यों हेतु नियोजित आउटसोर्स श्रमिकों की घातक विद्युत दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में उनके परिजनों को तात्कालिक सहायता हेतु प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कारपोरेशन के आदेश संख्या–2269–औ0सं0/2017–19(125) ए0एस0/01 दिनांक 01.05.2017 को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 16.06.2023 को सम्पन्न हुयी निदेशक मण्डल की 192(66)वीं बैठक में लिए गये निर्णयानुसार एतद्द्वारा निम्न व्यवस्था प्रतिपादित की जाती है :–

1. आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से उपकेन्द्रों/लाइनों के अनुरक्षण कार्य में नियोजित आउटसोर्स श्रमिको की विभागीय कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक श्रमिकों के परिजनों को अनुमन्य की जाने वाली अनुग्रह धनराशि को रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर रू0 7.50 लाख किया जाता है।
2. कारपोरेशन द्वारा भुगतान की गयी अनुग्रह धनराशि की वापसी हेतु आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा नियोजित श्रमिकों का रू0 7.50 लाख का सामूहिक दुर्घटना बीमा पालिसी करायी जायेगी। उक्त सामूहिक दुर्घटना बीमा पालिसी के प्रीमियम का व्ययभार आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा जिसका निविदा जारी करते समय स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा उक्त बीमा की राशि इंश्योरेन्स कम्पनी से प्राप्त कर सम्बन्धित खण्ड कार्यालय में 120 दिनों में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की दशा में सम्बन्धित आउटसोर्स एजेन्सी के बीजक से कारपोरेशन द्वारा भुगतान की गयी उक्त धनराशि समायोजित कर ली जायेगी। तदनुसार अनुबन्ध की शर्तों में भी इसका उल्लेख किया जायेगा, सम्बन्धित खण्ड/मण्डल के अन्तर्गत उक्त अनुग्रह धनराशि के भुगतान किये जाने एवं निर्धारित समयावधि में आउटसोर्स एजेन्सी से प्राप्ति का लेखा–जोखा रखने का दायित्व सम्बन्धित इकाई के लेखाकार का होगा।
3. वर्तमान में अनुबंधित आउटसोर्स एजेन्सियों द्वारा आउटसोर्स कार्मिकों हेतु ली गयी बीमा पॉलिसी में बीमा धनराशि को अनुबंध समाप्त होने की अवधि तक रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख किया जायेगा। इस बढ़ी हुयी बीमा राशि के प्रीमियम की धनराशि का बीजक के साथ प्रीमियम भुगतान की रसीद प्रस्तुत करने पर संबंधित खण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति के संबंध में दिशा–निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगें। इस संबंध में अनुबन्धकर्ता अधिकारी द्वारा संबंधित आउटसोर्स एजेन्सी को पत्र प्रेषित किया जाये।

उक्त आदेश दिनांक 01.07.2023 से प्रभावी माने जायेगें।

(मृगांक शेखर दाश भट्टमिश्र)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–3000–औ0सं0/2023, तद्दिनांक :–

स्पीड–पोस्ट

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/केस्को कानपुर।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/केस्को कानपुर।

3. निदेशक (वित्त), पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/केस्को कानपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस आशय से कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अधीनस्थ अधिकारियों/इकाईयों को उपलब्ध करा दें।
6. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407 शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. कट फाइल।

(प्रदीप कुमार)
उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPRATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 4094–पारे0अनु0–16 / पाट्रांकालि–2017–05 / 2017 दिनांकः 9 नवम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से उपकेन्द्रों / लाइनों के अनुरक्षण एवं परिचालन आदि कार्यो हेतु नियोजित किये जाने वाले संविदा श्रमिकों की घातक विद्युत दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने की दशा में उनके परिजनों को तात्कालिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0–2269–औ0सं0 / 2017–19(125)ए0एस0 / 01 दिनॉक 01.05.2017 को उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 26.09.2017 को सम्पन्न हुई 54वीं बैठक में पारित निर्णयानुसार उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में एतद्द्वारा अंगीकृत करते हुए निम्न संकल्प पारित किये गये:–

1. वाहय सेवा प्रदाता के माध्यम से उपकेन्द्रों / लाइनों का अनुरक्षण एवं परिचालन कार्यो हेतु नियोजित संविदा श्रमिकों की घातक विद्युत दुर्घटना में मृत्यु होने पर सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (Contracting Engineer) द्वारा तात्कालिक सहायता रू0 5.00 लाख अनुग्रह धनराशि के रूप में स्वीकृत करते हुए मृतक संविदा श्रमिक के परिजनों को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से भुगतान करेंगे।
2. कारपोरेशन द्वारा अनुग्रह धनराशि के रूप में भुगतान की गई धनराशि रू0 5.00 लाख की वापसी हेतु संविदाकारों द्वारा नियोजित श्रमिकों का रू0 5.00 लाख का बीमा सामूहिक रूप से कराया जायेगा। उक्त बीमे हेतु संविदाकार को श्रमिकों की मजदूरी के साथ बीमा की राशि का भुगतान किये जाने की नीति विद्यमान है। बीमे की राशि इंश्योरेन्स कम्पनी से प्राप्त कर संविदाकार द्वारा उक्त धनराशि रू0 5.00 लाख सम्बन्धित खण्ड में 120 दिन में जमा करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा सम्बन्धित संविदाकार के बीजक से रू0 5.00 लाख की धनराशि समायोजित कर ली जायेगी। तदनुसार अनुबन्ध की शर्तों में इसका उल्लेख भी किया जायेगा। सम्बन्धित खण्ड / मण्डल के अन्तर्गत अनुग्रह धनराशि के भुगतान किये जाने एवं निर्धारित समयावधि में प्राप्ति का लेखा–जोखा रखने का दायित्व इकाई के लेखाकार का होगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी एवं लागू माने जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्याः 4094 (i)–पारे0अनु0–16 / पाट्राकालि / 2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I / स्तर–II), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
4. समस्त महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक / उप मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
5. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

(ए0के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (पारेषण)